न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक – 03.06.25

रीडर/2024/ 4058

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
सरूपाराम पुत्र जालूराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी मगनाणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।		1 गोमाराम पुत्र जालूराम 2.वरजू पत्नी मगाराम 3.धुड़ाराम पुत्र डलाराम जातियान जाट 4.सोनाराम पुत्र मंगलाराम 5. पीराराम पुत्र जालूराम निवासीयान मगनाणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 415/2024 दिनांक– 26.05.2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण **मौजा मगनाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 953/799 रकबा 5.2285 हैक्टेयर, खसरा संख्या 952/799 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2024/ 4059-62 दिनांक– 03.06.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण [illegible] लिखकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही करावे।
3. प्राथीगण सरूपाराम पुत्र जालूराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी मगनाणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण गोमाराम पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी मगनाणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:16:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर